




कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र -I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं०.एल०ए० / एस०एस०-1 / श०स्था०नि० /
सेवा में,



कार्यपालक अभियंता
जिला शहरी विकास अभिकरण (DUDA), सीतामढी
जिला- सीतामढी

महाशय,

जिला शहरी विकास अभिकरण, सीतामढी के अप्रैल 2010 से दिसम्बर 2016 तक के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं० 1194/16-17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

-६०-

वरिय लेखापरीक्षा अधिकारी
श०स्था०नि०/सामाजिक प्रक्षेत्र-1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं०-एल०ए० / एस.एस.-1 / श०स्था०नि०/146 58/512

दिनांक- 31/03/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, सीतामढी



वरिय लेखापरीक्षा अधिकारी
श०स्था०नि०/सामाजिक प्रक्षेत्र-1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना

सामाजिक प्रक्षेत्र- I

निरीक्षण प्रतिवेदन सं.-1194/16-17

भाग- I

प्रस्तावना

1.	कार्यालय का नाम	जिला शहरी विकास अभिकरण, सीतामढ़ी
2.	कार्यपालक अभियंता का नाम एवं पता	श्री गिरिजा राम
3.	लेखा परीक्षा की अवधि	अप्रैल 2010 से दिसम्बर 2016 तक
4.	लेखापरीक्षा की तिथि	20.01.17 से 30.01.17 तक
5.	विस्तृत जाँच का माह	10/2010 एवं 11/2013
6.	अंकगणितीय जाँच का माह	जुलाई 2015 तथा नवंबर 2016
7.	लेखापरीक्षा दल के सदस्यगण	श्री अशोक कुमार झा-1 वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी श्री सुबोध प्रसाद सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी श्री रवि शंकर प्रभाकर सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी श्री सुमन कुमार ठाकुर लेखा परीक्षक श्री सुजीत कुमार लेखा परीक्षक
8.	लेखापरीक्षा का विस्तार	माह अप्रैल 2010 से दिसम्बर 2016 तक के लेखाओं की नमूना जाँच की गई एवं माह 10/2010 एवं 11/2013 के लेखाओं की विस्तृत जाँच की गई। माह अप्रैल 2010 से दिसम्बर 2016 तक कोषागार में जमा की गई राशियों एवं माह 10/2010 एवं 11/2013 में कोषागार से निकासी की गई राशियों का सत्यापन कोषागार के अभिलेखों से किया गया।
9.	क्या लेखापरीक्षा आपत्ति पर विचार- विमर्श किया गया	हाँ

दावा अस्वीकार प्रमाण-पत्र

यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला शहरी विकास अभिकरण, सीतामढ़ी द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। प्राप्त सूचनाओं/तथ्यों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर निरीक्षण प्रतिवेदन में त्रुटि की जिम्मेवारी महालेखाकार कार्यालय (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना की नहीं होगी।

भाग- ॥ (क)- शून्य

भाग- ॥ (ख)

कंडिका संख्या:- 1 जनकपुर रोड के अन्तर्गत नागेश्वर स्थान से जैतपुर कोठी तक पी0सी0सी0 सड़क एव नाला निर्माण कार्य की संवीक्षा

एन.आई टी सं. -04/2011-12

योजना का नाम- जनकपुर रोड के अन्तर्गत नागेश्वर स्थान से जैतपुर कोठी तक पी0सी0सी0 सड़क एव नाला निर्माण।

प्राकलित राशि - रु 3607245/-

एकरारनामा सं0 एवं वर्ष -37एफ-2/2012-13

एकरारनामा की तिथि -27.06.2012

एकरारित राशि - रु 3066158/-(15 प्रतिशत कम)

संवेदक का नाम- श्री कृष्ण कुमार

कार्य प्रारम्भ करने की तिथि - 27.06.12

कार्य समाप्ति की तिथि -26.09.2012

कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि -24.02.16

कार्यादेश की तिथि:- शून्य/08.03.16

क. बिहार खनन समानुदान नियमावली 1972 के नियम 40(10) के अनुसार कार्यों में व्यवहृत खनन सामग्रियों से संबंधित प्रपत्र 'एम' तथा 'एन' एवं चालान संवेदक को प्रमण्डल कार्यालय में जमा करना है तथा कार्यपालक अभियंता द्वारा उक्त प्रपत्रों का सत्यापन संबंधित खनन पदाधिकारी से सुनिश्चित करने के पश्चात् ही सामग्रियों के ढुलाई मद का भुगतान किया जाना है। उपरलिखित योजना से संबंधित उपलब्ध कराई गई संचिका, मापीपुस्त के जॉच के कम में पाया गया कि सभी on account bill के memorandum of payment में निम्नलिखित खनिज संपदाओं पर ढुलाई में खर्च दिखाया गया था जबकि फार्म 'एम0' एवं 'एन0' संवेदक के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। संबंधित योजना संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि कार्यालय द्वारा इस तरह की कोई मांग संवेदक से नहीं की गयी। फार्म 'एम0' एवं 'एन0' की अनुपलब्धता में यह ज्ञात नहीं किया जा सका कि खनिज संपदा कहां से कय की गई थी जिस पर ढुलाई का खर्च रु0 1134325 का किया गया था। विवरणी निम्न प्रकार है-

सामग्री मात्रा	दुलाई पर व्यय
<u>1st to 4th bill-</u> Stone chips (86.56+217.33 +336.76+14.76)m ³	833936
Sone sand- 43.28 m ³ +108.86m ³ +168.38m ³ +28.71m ³	281528
Local sand- 66.77m ³ + 120.4m ³ +197.17m ³ +19.64m ³	18861
	1134325

फार्म 'एम0' एवं 'एन0' की अनुपलब्धता की स्थिति में उक्त योजना पर दुलाई पर किया गया व्यय रु 1134325 अनियमित प्रतीत होता है । हालाँकि उक्त व्यय के भुगतान में रॉयल्टी काटी गई है परन्तु बिना फार्म 'एम0' एवं 'एन0' के किया गया भुगतान अनियमित था।

ख. बी.ओ.क्यू के अनुसार कार्य की प्राक्कलित राशि रु0 36,07,245 थी। कार्य में अत्यधिक विलंब को देखते हुए एग्रीमेंट के अनुसार संवेदक से अधिकतम 10 प्रतिशत की कटौती किया जाना था, जोकि रु0 360724/- होता है, जबकि उक्त योजना में से समय विस्तार के लिए केवल रु 38170/- राशि की ही कटौती की गई थी। इस प्रकार संवेदक से रु0 322554/- (360724- 38170) हर्जाने की राशि कम वसूली की गई।

कार्यालय द्वारा बताया गया कि संवेदक से विलंब शुल्क की राशि की वसूली कर ली जाएगी एवं आगे से संवेदकों से प्रपत्र-एम0 एवं एन0 प्राप्त कर दुलाई शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि भुगतान नियमानुसार नहीं किया गया।

कंडिका संख्या:- 2 बेलसंड नगर पंचायत अन्तर्गत पी0डब्लू0डी0 सड़क से जगरनाथ सिंह महाविद्यालय के कैम्पस तक पी0सी0सी0 निर्माण कार्य की संवीक्षा

निविदा संख्या-02/12-13

ग्रुप संख्या-01

निविदा की तिथि	:-	17.07.12
प्राक्कलित राशि	:-	1188732.00 रु
एकरारनामा की राशि	:-	1188732.00 रु (as per estimate)
एकरारनामा संख्या एवं वर्ष	:-	47 /12-13
संवेदक का नाम	:-	श्री ऋषि झा
कार्य प्रारम्भ की तिथि	:-	09.11.12
कार्य पूर्ण करने का समय	:-	3 माह
कार्य समाप्ति की तिथि	:-	02.01.13
मापी का मुल्य	:-	1180559.00 रु

योजना की भौतिक स्थिति :- पूर्ण
भुगतान :- 1180559.00 रु

मापी पुस्त संख्या-45/2012-13

उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित संचिका व अभिलेखों के नमूना जाँच क्रम में निम्नांकित अनियमितताएँ पायी गयी:-

1. **वैट की कम कटौती, राशि 5920.00 रु** – मापी पुस्त के अवलोकन में पाया गया कि प्रथम व द्वितीय चलंत बिल में भुगतान की गई राशियों 211778.00 रु एवं 380222.00 रु पर 5 प्रतिशत के दर से बिक्री कर की राशियों कमशः 10588.90 रु एवं 19011.1 रु की कटौती न कर 4 प्रतिशत के दर से राशि 8471.00 रु एवं 15209.00 रु की कटौती की गई, जिसके कारण संवेदक को 5920 रु का अधिक भुगतान हुआ एवं परिणामस्वरूप राज्य सरकार को 5920 रु के राजस्व की हानि हुई।
2. **श्रम उपकर की कटौती नहीं, राशि 5920.00 रु**– मापी पुस्त के अवलोकन में पाया गया कि प्रथम व द्वितीय चलंत बिल से श्रम उपकर की राशि 2118.00 रु एवं 3802.00रु अर्थात कुल 5920 रु की कटौती नहीं की गई।
3. **लघु खनिजों की ढुलाई पर अनियमित भुगतान– मो0 3.22 लाख**

बिहार लघु खनिज समुदान नियमावली 1972 के नियम 40(10) के अनुसार लघु खनिजों की ढुलाई को सुनिश्चित करने तथा अवैध उत्खनन को रोकने के उद्देश्य से संवेदकों से प्रपत्र एम0 तथा एन0 लिया जाना है। चालानों का सत्यापन खनन पदाधिकारी से सुनिश्चित किये जाने के पश्चात ही विपत्रों का भुगतान किया जाना है। बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानानुसार भी ढुलाई मद में किये गये भुगतान के लिए अभिश्रव/चालानों का होना आवश्यक है। अभिश्रव प्राप्त किये बगैर ढुलाई मद में भुगतान वर्जित है।

उपरोक्त कार्य के अभिलेखों के जाँच में पाया गया कि इस कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का विवरणी निम्नवत् था:-

सामग्री का नाम	खपत मात्रा	ढुलाई दर	राशि (रु0 में)
Sone sand	80.55 m ³	1576.19 / m ³	126962
Stone chips	157.029 m ³	1252.66 / m ³	196704
	कुल		323666

उपरोक्त योजना में व्यवहृत लघु खनिजों यथा स्टोन चिप्स एवं सोन बालू का भुगतान संवेदक से प्रपत्र एम0 तथा एन0 के साथ चालानों की प्रति लिये बगैर तथा अभिश्रव प्राप्त किये वगैर ही, सिर्फ रॉयल्टी काटकर किया गया था। इससे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि उपरोक्त लघु खनिजों

की, जो कार्य उपयोग में लायी गयी थी वह एकरारनामों में प्रावधानित खदानों/स्थलों से ही लायी गयी थीं। अतः अभिश्रव/चालानों का होना आवश्यक है। अभिश्रव प्राप्त किये बगैर ढुलाई मद में भुगतान की गई राशि 323666 रु० मान्य नहीं है।

आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि संवेदक को अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जायेगी एवं आगे से संवेदकों प्रपत्र-एम० एवं एन० प्राप्त कर ढुलाई शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

अतः जवाब के आलोक में योजना में संवेदक को अधिक भुगतान की गई राशि 11840 रु (5920+ 5920) की वसूली की जाये एवं संवेदकों से प्रपत्र एम० तथा एन० प्राप्त कर लघु खनिजों के ढुलाई शुल्क का भुगतान किया जाये।

कंडिका संख्या:-3 योजना के विलम्ब की राशि की कम वसूली: रु० 2.88 लाख

एन.आई टी सं. -23-02/2011-12

योजना का नाम-कैलाशपुरी योगेन्द्र प्रसाद के मकान से मुख्यमंत्री योजना सड़क तक पी०सी०सी० सड़क एवं पक्का नाला निर्माण कार्य

प्राकलित राशि - रु 3195295/-

एकरारनामा सं० एवं वर्ष -36एफ-2/2011-12

एकरारनामा की तिथि -06.01.2012

एकरारित राशि - रु 3195295/-

कार्यकर्ता का नाम -अरुण कुमार सिंह

कार्य प्रारम्भ करने की तिथि - 06.01.12

कार्य समाप्ति की तिथि -05.04.2012

कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि-25.02.14

According to F2 Agreement Condition Of Contract Clause 2 the Contractor will be liable to pay as compensation an amount equal to $\frac{1}{2}$ % on the said estimated cost of the whole work every day that the due quantity of work remains incomplete provided always that the entire amount of compensation to be paid under the provisions the clause shall not exceed 10 percent of the estimated cost of the work as shown in the tender.

उपरोक्त वर्णित योजना की जाँच में पाया गया कि बी.ओ.क्यू के अनुसार कार्य की प्राक्कलित राशि रु० 3195295 थी। कार्य पूर्ण करने में लगभग 23 महीने का विलंब हुआ। विलंब को देखते हुए एग्रीमेंट के अनुसार संवेदक से प्राक्कलित राशि का अधिकतम 10 प्रतिशत की कटौती किया जाना था, जोकि रु० 319529/- होता है, जबकि उक्त योजना में से समय विस्तार के रूप में केवल रु 30664/- राशि की ही कटौती की गई थी। इस प्रकार संवेदक से रु० 288865/- हर्जाने की राशि कम वसूल की गई।

अतः संवेदक से रू0 288865/-- की राशि कम वसूल किया गया।

कार्यालय द्वारा बताया गया कि संवेदक से विलम्ब शुल्क की राशि की वसूली कर ली जायेगी।

अतः विलम्ब शुल्क की राशि वसूल कर महालेखाकार कार्यालय को सूचित किया जाए।

कंडिका संख्या:- 4 सीतामढ़ी पुपरी स्टेट हाइवे से रेलवे गुमटी एवं बुलन चौक होते हुए पूर्व में बनी पी0सी0सी0 सड़क तक तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य की संवीक्षा

निविदा संख्या-02/12-13

ग्रुप संख्या-05

निविदा की तिथि	:-	25.07.12
प्राक्कलित राशि	:-	2206387.00 रू
एकरारनामा की राशि	:-	2206387.00 रू (as per estimate)
एकरारनामा संख्या एवं वर्ष	:-	52 /12-13
संवेदक का नाम	:-	श्री शिवजी भगत
कार्य प्रारम्भ की तिथि	:-	25.05.13
कार्य पूर्ण करने का समय	:-	4 माह
कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि	:-	07.09.15
मापी का मुल्य	:-	2142520.00 रू
योजना की भौतिक स्थिति	:-	पूर्ण
भुगतान	:-	1985748.00 रू
योजना में भुगतान के लिए अवशेष राशि	:-	156772.00 रू

मापी पुस्त संख्या-64/2012-13

उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित संचिका व अभिलेखों के नमूना जाँच क्रम में निम्नांकित अनियमितताएँ पायी गयी:-

- 1. श्रम उपकर की कटौती नहीं, राशि 11694.00 रू-** मापी पुस्त के अवलोकन में पाया गया कि प्रथम चलंत बिल की राशि 1169400.00 रू पर 1 प्रतिशत के दर से श्रम उपकर की राशि 11694 रू की कटौती नहीं की गई।
- 2. विलंब शुल्क की कटौती नहीं, राशि 220639.00 रू-** संवेदक द्वारा विलंब से कार्य पूर्ण करने पर फॉर्म सं0 एफ-2 के क्लाउज 2 के अनसुार प्रा0 राशि का 10 प्रतिशत विलंब शुल्क अर्थात रू 2206387×10 प्रतिशत रू 220639.00 की कटौती नहीं की गई।
- 3. लघु खनिजों की ढुलाई पर अनियमित भुगतान- राशि 6.63 लाख रू**
बिहार लघु खनिज समुदान नियमावली 1972 के नियम 40(10) के अनुसार लघु खनिजों की ढुलाई को सुनिश्चित करने तथा अवैध उत्खनन को रोकने के उद्देश्य से संवेदकों से प्रपत्र एम0

तथा एन0 लिया जाना है। चालानों का सत्यापन खनन पदाधिकारी से सुनिश्चित किये जाने के पश्चात ही विपत्रों का भुगतान किया जाना है। बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानानुसार भी ढुलाई मद में किये गये भुगतान के लिए अभिश्रव/चालानों का होना आवश्यक है।

उपरोक्त कार्य के अभिलेखों के जाँच में पाया गया कि इस कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का विवरणी निम्नवत् था:-

सामग्री का नाम	खपत मात्रा	ढुलाई दर	राशि (रू0 में)
Sone sand	156.992 m ³	1664.85 / m ³	261368
Stone chips	313.97 m ³	1279.26 / m ³	401649
	कुल		663017

उपरोक्त योजना में व्यवहृत लघु खनिजों यथा स्टोन चिप्स एवं सोन बालू का भुगतान संवेदक से प्रपत्र एम0 तथा एन0 के साथ चालानों की प्रति लिये बगैर तथा अभिश्रव प्राप्त किये वगैर ही, सिर्फ रॉयल्टी काटकर किया गया था। इससे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि उपरोक्त लघु खनिजों की, जो कार्य उपयोग में लायी गयी थी वह एकरारनामों में प्रावधानित खदानों/स्थलों से ही लायी गयी थीं। अतः अभिश्रव/चालानों का होना आवश्यक है। अभिश्रव प्राप्त किये बगैर ढुलाई मद में भुगतान की गई राशि 663017 रू0 मान्य नहीं है।

आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि संवेदक को अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जायेगी एवं आगे से संवेदकों प्रपत्र-एम0 एवं एन0 प्राप्त कर ढुलाई शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

चूँकि योजना में आवंटन के अभाव में राशि 156772.00 रू का भुगतान नहीं किया गया है, अतः इस राशि पर कटौती योग्य करों यथा बिक्री कर, श्रम उपकर, रॉयल्टी आदि की कटौती करने के उपरांत अधिक भुगतान की गई राशि 232333.00 रू (11694+ 220639) की वसूली की जाये एवं संवेदकों से प्रपत्र एम0 तथा एन0 प्राप्त कर लघु खनिजों के ढुलाई शुल्क का भुगतान किया जाये।

कण्डिका संख्या:- 5 योजना का नाम-सीतामढी नगर परिषद क्षेत्र अन्तर्गत रिंग बांध सिध बाबा के कुटी से प्रमू सिंह के घर होते हुए किरण सिनेमा रिंग बांध के पीछे तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य

निविदा संख्या-02/12-13

गुप संख्या-04

निविदा की तिथि :- 17.07.12

प्राक्कलित राशि :- 4580701.00 रू

एकरारनामा की राशि :- 4580701.00 रू (as per estimate)

एकरारनामा संख्या एवं वर्ष :- 51F2/12-13

संवेदक का नाम	:- श्री आलोक कुमार सिंह
कार्य प्रारम्भ की तिथि	:- 14.01.13
कार्य पूर्ण करने का समय	:- 6 माह
कार्य समाप्ति की तिथि	:- 31.10.13
मापी का मुल्य	:- 4569719.00 रु
योजना की भौतिक स्थिति	:- पूर्ण
भुगतान	:- 4569719.00 रु

उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित संचिका व अभिलेखों के नमूना जाँच क्रम में निम्नांकित अनियमितताएँ पायी गयी:-

- 1. श्रम उपकर की कटौती नहीं, राशि 22818.00 रु-** मापी पुस्त के अवलोकन में पाया गया कि प्रथम चलंत बिल में भुगतान की गई राशि 2281850.00 रु पर 1 प्रतिशत के दर से श्रम उपकर की राशि 22818.00 रु की कटौती नहीं की गई।
- 2. विलंब शुल्क की कटौती नहीं, राशि 456973.00रु-** योजना में संवेदक द्वारा 14 माह विलंब से किया गया, परंतु संवेदक द्वारा विलंब से कार्य पूर्ण करने पर बीपीडब्लूडी के फॉर्म सं0 एफ-2 के क्लाउज 2 के अनसुार प्रा0 राशि का 10 प्रतिशत विलंब शुल्क अर्थात रु 4569730×10 प्रतिशत रु 456973.00 की कटौती नहीं किया गया।
- 3. लघु खनिजों की ढुलाई पर अनियमित भुगतान, राशि 1165862.00 रु-**
बिहार लघु खनिज समुदान नियमावली 1972 के नियम 40(10) के अनुसार लघु खनिजों की ढुलाई को सुनिश्चित करने तथा अद्वैत उत्खनन को रोकने के उद्देश्य से संवेदकों से प्रपत्र एम0 तथा एन0 लिया जाना है। चालानों का सत्यापन खनन पदाधिकारी से सुनिश्चित किये जाने के पश्चात ही विपत्रों का भुगतान किया जाना है। बिहार वित्तीय नियामावली के प्रावधानानुसार भी ढुलाई मद में किये गये भुगतान के लिए अभिश्रव/चालानों का होना आवश्यक है। अभिश्रव प्राप्त किये बगैर ढुलाई मद में भुगतान वर्जित है।

उपरोक्त कार्य के अभिलेखों के जाँच मे पाया गया कि इस कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का विवरणी

निम्नवत् था:-

सामग्री का नाम	खपत मात्रा	ढुलाई दर	राशि (रु0 में)
Sone sand	279.68 m ³	1664.85 / m ³	465625
Stone chips	559.00 m ³	1252.66 / m ³	700237
	कुल		1165862

उपरोक्त योजना में व्यवहृत लघु खनिजों यथा स्टोन चिप्स एवं सोन बालू का भुगतान संवेदक से प्रपत्र एम0 तथा एन0 के साथ चालानों की प्रति लिये बगैर तथा अभिश्रव प्राप्त किये वगैर ही, सिर्फ रॉयल्टी काटकर किया गया था। इससे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि उपरोक्त लघु खनिजों की, जो कार्य उपयोग में लायी गयी थी वह एकरारनामों में प्रावधानित खदानों/स्थलों से ही लायी गयी थीं। अतः अभिश्रव/चालानों का होना आवश्यक है। अभिश्रव प्राप्त किये बगैर ढुलाई मद में भुगतान की गई राशि 1165862.00 रु0 मान्य नहीं है।

आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि संवेदक को अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जायेगी एवं आगे से संवेदकों प्रपत्र-एम0 एवं एन0 प्राप्त कर ढुलाई शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

अतः जवाब के आलोक में योजना में संवेदक को अधिक भुगतान की गई राशि 479791.00 रु (22818+456973) की वसूली की जाये एवं संवेदकों से प्रपत्र एम0 तथा एन0 प्राप्त कर लघु खनिजों के ढुलाई शुल्क का भुगतान किया जाये।

कंडिका संख्या:-6 योजनाओं में निष्फल व्यय रु 297316/-

जिला शहरी विकास अभिकरण, सीतामढ़ी के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाओं के जाँच के क्रम में पाया गया कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन में निष्फल व्यय किया गया:-

योजना संख्या	15/09-10	13/09-10
योजना का नाम	वार्ड न0 2 में (मुन्ना ठाकुर) शम्भू राय के घर से बच्चा राय के घर तक मिट्टी भराई ईट सोलिंग एवं पी.सी.सी. तथा नाला निर्माण कार्य	वार्ड न0 2 में जगदीश राय के घर से रामाशंकर राय के घर तक मिट्टी भराई, ईट सोलिंग एवं पी.सी.सी. नाला निर्माण कार्य
प्राक्कलित राशि	609341	282971
एकरारनामा की राशि	517939	240525
एकरारनामा संख्या एवं वर्ष	53F2/12-13	41F2/12-13
संवेदक का नाम	श्री अनिल कुमार	श्री अर्जुन कुमार
कार्य प्रारम्भ की तिथि	29.11.12	04.07.12
कार्य पूर्ण करने का समय	28.01.13	03.09.12
कार्य समाप्ति की तिथि	पूर्ण नहीं	पूर्ण नहीं
मापी का मुल्य	188976	123340
योजना की भौतिक स्थिति	अपूर्ण	अपूर्ण
योजना पर व्यय	173976 (188976-15000)	123340
भुगतान के लिए रोकई गई राशि	15000	-

उक्त योजनाएं संवेदक द्वारा बीच में ही छोड़ दिया गया तथा कार्य लेखापरीक्षा की अवधि तक पूर्ण नहीं की गई थी। जबकि इन योजनाओं के लिए कुल रु 297316/- का व्यय किया गया। कार्य बीच में ही छोड़ दिये जाने के कारणों का स्पष्टीकरण संवेदकों द्वारा नहीं दिया गया था। चूंकि योजना काफी पुरानी हो चुकी है, अतः इसे वर्तमान में पूर्ण की दर से संवेदक द्वारा पूर्ण नहीं किया जा सकता। इसके लिए कार्यालय द्वारा इन संवेदकों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा इन योजनाओं के लिए कुल रु 297316/- का व्यय निष्फल हो गया।

जवाब में बताया गया कि योजना स्थल निजी/विवादित होने के कारण कार्य अपूर्ण हैं।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि याजना शुरू करने से पूर्व इसकी समीक्षा नहीं की गई। अतः निष्फल व्यय के कारणों से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत करायें।

कंडिका संख्या:-7 निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्रियों का खपत प्राक्कलन से अधिक किया जाना राशि 1.15 लाख रु

वर्ष 2008-09 में योजना संख्या 25/2008-09 के अन्तर्गत वार्ड नं0-21 सेखौना मस्जिद से मुख्य सड़क बसनदेव प्रसाद आर्य के मकान तक पी0सी0सी0 एवं नाला निर्माण कार्य हेतु जिला शहरी विकास अभिकरण, सीतामढ़ी ने संवेदक श्री उमेश चन्द्र सिंह को कार्यपालक अभियंता, सीतामढ़ी द्वारा चयन किया गया था। कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई योजना से संबंधित संचिका में उपलब्ध प्राक्कलन, मापी पुस्त तथा अन्य संबंधित अभिलेख के जाँच में पाया गया कि संवेदक श्री सिंह के द्वारा निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्रियों की खपत प्राक्कलन से अधिक मापी पुस्त में दर्शाया हुआ पाया गया और कार्यालय प्रधान द्वारा विपत्र/मापी पुस्त को बिना सघन जाँच किए हुए संवेदक श्री सिंह को अधिक भुगतान कर दी गई जिसे अंतिम विपत्र से वसूल करना था, जो निम्नवत था:-

सामग्री का नाम	प्राक्कलन के अनुसार सामग्रियों का प्रावधान	मापी पुस्त के अनुसार उपयोग की गई सामग्री की मात्रा	अधिक उपयोग की गई सामग्री की मात्रा	दर	वसूलनीय राशि
सिमेंट	15.91 MT	36.53 MT	20.62 MT Or 20620 Kg Or 412 बैग	274.00 रु प्रति बैग	112998
कुल वसूलनीय राशि:-					112998

आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि संवेदक से राशि की वसूली कर ली जायेगी। अतः आपत्ति के आलोक में संवेदक को अधिक भुगतान की गई राशि 112998 रु की वसूली की जाय।

कंडिका संख्या:- 8 श्रम उपकर की राशि का अधिरोपन नहीं, राशि 3.87 लाख रु

। योजनाओं से संबंधित संचिकाओं के जॉच में पाया गया कि योजनाओं में इनके विपत्र से श्रम उपकर की राशि का कटौती नहीं की गई, जिसकी विवरणी परिशिष्ट-1 पर संलग्न की गई है।

इस प्रकार कुल 38 पूर्ण योजनाएँ में निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् उनके अंतिम विपत्र की राशि से श्रम उपकर की राशि 386939.00 रु की कटौती नहीं की गई, जो वसुलनीय है।

आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि वर्ष 2011-12 से ली गई योजनाओं में श्रम सेस की कटौती की गई हैं। पूर्व वर्षों के कुछ योजनाओं में श्रम उपकर की राशि की कटौती नहीं की गई थी जिसकी वसूली कर ली जायेगी।

अतः आपत्ति के आलोक में श्रम उपकर की राशि की कटौती नहीं की गई राशि 386939.00 रु की वसूली कर सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा किया जाये।

कंडिका संख्या:-9 बिक्री कर का कम निर्धारण किये जाने के कारण राजस्व हानि राशि 1.19 लाख रु

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह प्रधान सचिव, बिहार, पटना का पत्रांक बिक्री-कर कार्य संविदा-01/2010-1059 दिनांक 24.03.2011 तथा बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 41 के अन्तर्गत कार्य संविदा एवं विभागीय स्तर/पंचायत स्तर पर कराये गये कार्य के मामले में 5% की दर से स्रोत पर वैट की कटौती करने का प्रावधान है।

कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई पूर्ण योजनाओं से संबंधित संचिकाओं एवं अन्य अभिलेखों के जॉच क्रम में पाया गया कि 12 पूर्ण कराई गई योजनाओं में कार्यालय द्वारा वैट की कटौती निर्धारित दर से नहीं की गई, जिसके कारण राज्य सरकार को राशि 119323.00 रु के राजस्व की हानि हुई, जिसकी विस्तृत विवरणी परिशिष्ट:- II पर दिया गया है।

और इस तरह वैट की कुल राशि रु0 1,19,323/- की कम कटौती की गयी। आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि वैट की कम कटौती की राशि की वसूली संवेदकों से कर ली जाएगी।

अतः आपत्ति के आलोक में वैट की कम कटौती की गई राशि 119323.00 रु की वसूली जिम्मेवार व्यक्ति से कर सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा किया जाय।

कंडिका संख्या:-10 अतिरिक्त परफारमेंस सिक्यूरिटी नहीं लिये जाने से संवेदकों को अदेय सहायता रु0 6.15 लाख

अभियन्ता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक -प्र06/1बी0-122003 3376एस दिनांक 17.08.2010 में दिये गये निर्देश के अनुसार अगर कोई संवेदक विभाग द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन में Serious Unbalanced कम दर पर अपनी निविदा में उद्धत करता है तो उनसे लिखित रूप में मद का विस्तृत दर विश्लेषण प्राप्त किया जाये कि वे

इस कार्य को कैसे संपादित करायेगें तथा Serious Unbalanced दर के लिए संवेदक से Additional Performance Guarantee की माँग की जाय।

1. परिमाण विपत्र की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्धत दर वाले निविदा के लिए 0.25 प्रतिशत Additional Performance Guarantee प्रति एक प्रतिशत उद्धत दर के लिए ली।
2. परिमाण विपत्र की दर से 5 से 10 प्रतिशत कम उद्धत दर वाले निविदा के लिए 0.5 प्रतिशत Additional Performance Guarantee प्रति एक प्रतिशत उद्धत दर के लिए ली।
3. परिमाण विपत्र की दर से 10 प्रतिशत से कम उद्धत दर वाले निविदा के लिए 1 प्रतिशत Additional Performance Guarantee प्रति एक प्रतिशत उद्धत दर के लिए ली।

कार्यपालक अभियन्ता, जिला शहरी विकास अभिकरण, सीतामढ़ी के लेखाभिलेखों के नमूना जाँच के कम में पाया गया कि निम्न योजनाओं की निविदा में सफल संवेदको द्वारा परिमाण विपत्र दर से 15 प्रतिशत कम दर उद्धत किया गया था परन्तु उनसे नियमानुसार Additional Performance Guarantee जमा नहीं करायी गयी थी। विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम सं०	योजना का नाम	एकरारनामा सं०	प्राकलित राशि	एकरारनामा राशि	कम दर	ए.पी.जी. दर	ए.पी.जी. मूल्य
1.	जनकपुर रोड अन्तर्गत नागेश्वर स्थान से जैतपुर कोठी तक पी.सी.सी. सडक निर्माण	37एफ2/12-13	3607245	3066158	15 %	8.75 %	268289
2	वार्ड न०-12 रामचन्द्र प्रसाद के मकान से माथुर महतो के मकान तक पी.सी.सी. पथ कार्य	02एफ2/11-12	958238	814502	15 %	8.75 %	71269
3	वार्ड न०5 में कुटुज मास्टर के दुकान से योगेन्द्र शाह के घर तक पी.सी.सी. सडक एवं नाला निर्माण	12एफ2/11-12	603556	513023	15 %	8.75 %	44890
4	मेला रोड में नंद किशोर सिंह के मकान से शिव मंदिर तक पी.सी.सी. सडक निर्माण एव नाला जीर्णोद्धार कार्य	45एफ2/12-13	1842722	1566317	15 %	8.75 %	137053
5	वार्ड न०9 में महावीर स्थान से होते हुए माधव झा के घर से लाल बाबू गुप्ता के घर तक पक्का नाला एव सडक निर्माण कार्य	44एफ2/12-13	1262313	1072966	15 %	8.75 %	93885
						कुल	615386

इस प्रकार यह पाया गया कि उपरोक्त योजना में सफल संवेदको द्वारा परिमाण विपत्र दर से 15 प्रतिशत कम दर उद्धत किया जाने के बावजूद भी कुल रू 615386/- उनसे नियमानुसार Additional Performance Guarantee जमा नहीं कराये जाने के कारण इस नियम का पालन नहीं किया गया।

जवाब में बताया गया कि वर्तमान में अतिरिक्त निष्पादन शुल्क की राशि ली जा रही हैं।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि उपरोक्त नियम की अवहेलना कर अतिरिक्त परफॉरमेन्स गारन्टी की राशि नहीं ली गयी।

भाग:-3 (TAN)

टिप्पणी-1 SPUR के अन्तर्गत मलिन बस्ती में योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं, राशि 51.36 लाख Support Programme for Urban Reforms in Bihar(SPUR) द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 में पत्र संख्या-SPUR-PMU/095/IDS/2012-13/393 दिनांक-23.08.12 द्वारा सीतामढ़ी जिले के दो मलिन बस्तियों राजोपट्टी एवं रामटोला रिंग बांध में आधारभूत संरचना कार्य हेतु 5812728.00 रू की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसके लिए 50 प्रतिशत की राशि 2964500.00 रू डूडा, सीतामढ़ी को विमुक्त किया गया एवं अवशेष 50 प्रतिशत की राशि सभी निविदाओं को अवार्ड करने के उपरांत विमुक्त किया जाना था।

परंतु कार्यालय के अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि स्वीकृत राशि 58.00 लाख रू में से कार्यालय द्वारा नगर परिषद सीतामढ़ी अन्तर्गत वार्ड न0 28 राजोपट्टी में शौचालय, सड़क, नाली एवं सामुदायिक भवन निर्माण कार्य की योजना ली गई, जिसमें प्राक्कलित राशि 1740463.00 रू के विरुद्ध 745484 रू का व्यय किया गया। योजना की अवशेष राशि 2172292.00 रू कार्यालय पत्रांक- 14 दिनांक 10.01.15 द्वारा वापस कर दिया गया।

मलिन बस्ती राजोपट्टी में सम्पूर्ण राशि का व्यय नहीं किया गया एवं मलिन बस्ती रामटोला रिंग बांध में कोई योजना क्रियान्वित नहीं किया गया। स्वीकृति पत्र के अनुसार सभी निविदाओं को क्रियान्वित नहीं किये जाने के कारण इस योजना में अवशेष 50 प्रतिशत की राशि 2964500.00 रू की प्राप्ति से कार्यालय वंचित रहा, जिसके फलस्वरूप योजनाओं के लाभ से मलिन बस्ती वंचित रहे। आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि विभाग के आदेशानुसार राशि वापस कर दी गई हैं।

जवाब संतोषप्रद नहीं है। योजनाओं को क्रियान्वित नहीं किये जाने के कारण SPUR कार्यक्रम के अन्तर्गत मलिन बस्तियों आधारभूत संरचना के विकास से वंचित रहीं।

टिप्पणी-2 योजनाओं के अपूर्ण कार्य पर निष्फल व्यय रू0 107.57 लाख

सरकार को अपने एक महात्वाकांक्षी योजना के तहत आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त कराना एवं पिछड़ेपन को दूर करना पहली प्राथमिकता होती है। इसी प्राथमिकता को सुदृढ़ बनाये रखने के लिए एवं उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए योजनाएं स्वीकृति की जाती है जिसे योजनाएं स्वीकृति

के साथ एक निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होता है ताकि उद्देश्य की पूर्ति एवं उसका लाभ ससमय लाभुकों को प्राप्त हो सके।

कार्यालय कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, सीतामढ़ी के योजना विवरणी की जांच में पाया गया कि 18 योजनाएं अपने निर्धारित समय पर पूर्ण नहीं हो सकी। फलस्वरूप इन योजनाओं के उद्देश्य की पूर्ति ससमय लाभुकों को नहीं मिल सका। जिनकी विस्तृत विवरणी परिशिष्ट- III पर दी गई है।

अंकेक्षण टिप्पणी:-

1. योजनाओं के चयन करने के समय स्थल का भौतिक निरीक्षण नहीं किया गया जिसके कारण योजना सं० 13/09-10 एवं 15/09-10 क्रमशः अतिक्रमण एवं जमीनी विवाद के कारण स्थगित करना पड़ा। अतः इस पर किया गया कुल व्यय रु 312316 निष्फल हो गया।
2. उपरोक्त में से 07 योजनाओं पर किया गया व्यय शून्य था, इसका तात्पर्य यह है कि इन योजनाओं पर कार्य लेखा परीक्षा अवधि तक प्रारम्भ नहीं किया गया था।
3. योजना सं० 14/08-09 संचालन समिति द्वारा स्थगित किया गया था, अतः इस योजना हेतु आवंटित राशि वापस किया जाना चाहिए था।
4. उपरोक्त वर्णित योजनाएं काफी समय से अपूर्ण हैं तथा इनपर किया गया कुल भुगतान राशि रु 10756616/- था। योजनाओं के अपूर्ण तथा लम्बित होने से योजना के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी।

कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि इस संबंध में संवेदकों से पत्राचार किया जा रहा है एवं योजनाओं को अतिशीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा।

टिप्पणी- 3 ब्याज की राशि का अवरोधन: रु 50.68 लाख

कार्यालय, जिला शहरी विकास अभिकरण, सीतामढ़ी के लेखाओं की नमूना जाँच में उपलब्ध कराये गये रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि विभिन्न योजना मद की राशि पर अर्जित ब्याज काफी समय से बैंक में अनुप्रयुक्त है। विवरण निम्नवत है:-

मद/योजना का नाम	दिनांक 31.12.16 को रोकड़ बही का कुल अन्तशेष	दिनांक 31.12.16 को रोकड़बही में ब्याज का अन्तशेष
मुख्यमंत्री नगर विकास योजना	11558192	2037538
नगर सरकार भवन	28760583	2929137
SPUR	172743	101385
कुल	40491518	5068060

उपरोक्त ब्याज की राशि बिना किसी उद्देश्य के बैंक में रखा हुआ है। यदि इस राशि को आवंटन/प्रदान करने वाले विभाग को वापस कर दिया गया होता तो इसका उपयोग संबंधित मद की अन्य योजनाओं पर किया जा सकता था। विभाग के ज्ञापांक सं 3576 दिनांक 13.7.15 के द्वारा संशोधित, संकल्प सं. 2375 दिनांक 12.5.08 के उप कंडिका 2.3.4 के अनुसार आवंटित राशि पर अर्जित ब्याज योजना का ही संसाधन

माना जाएगा एवं उसके व्यय हेतु वही प्रावधान लागू होंगे जो मुख्यमंत्री नगर विकास योजना अन्तर्गत लागू है। अतः ब्याज की राशि रु 5068060/- अवरोधित थी।

जवाब में बताया गया कि विभाग के आदेशानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई कर लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाए।

टिप्पणी-4 BOQ की बिक्री से प्राप्त राशि को कोषागार में जमा नहीं किया जाना राशि ₹26.69 लाख

बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता के कंडिका सं0 71, 72 एवं 77 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार सरकार की ओर से प्राप्त धन (नगद या व्यक्तिगत चेक) को तुरंत संबंधित रोकड़ बही में लेखानीत कर यथाशीघ्र कोषागार में जमा कर दिया जाना चाहिए।

जिला शहरी विकास अभिकरण कार्यालय, सीतामढ़ी द्वारा उपलब्ध कराए गए संबंधित रोकड़बहियों के नमूना जॉच के दौरान पाया गया कि विभिन्न संवेदकों से परिमाण विपत्र (BOQ) बिक्री के रूप में वर्ष 2010-11 से दिसंबर 2016 तक कुल राशि रु 2668500 प्राप्त की गयी, परंतु राशि को कोषागार में जमा नहीं किया गया।

आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि राशि को कोषागार में जमा कर दिया जायेगा।

अतः जवाब के अनुरूप राशि को कोषागार में जमा किया जाये।

टिप्पणी- 5 परिमाण विपत्र (BOQ) के रोकड़ बही के प्रारम्भिक भेष में कम राशि दिखाया जाना रु 20,000

रोकड़ बही के जॉच में पाया गया कि परिमाण विपत्र के विक्रय से दिनांक 30.9.13 तक प्राप्त राशि का अन्तशेष रु0 1622000/- था। इस के बाद दिनांक 12.11.13 एवं दिनांक 08.01.2014 को क्रमशः रु 20000/- तथा रु 127350/- उक्त शीर्ष में प्राप्त हुआ था। इस प्रकार दिनांक 08.01.14 को इस शीर्ष में रु 1769350/- अन्तशेष होना चाहिये था। दिनांक 18.2.14 से पहले परिमाण विपत्र की राशि को मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के रोकड़ बही में ही लेखांकित किया जाता था। दिनांक- 18.02.2014 से इस हेतु अलग रोकड़ बही संधारित किया गया था जिसमें प्रारंभिक शेष केवल रु0 1749350/- दर्शाया गया था। इस प्रकार दिनांक 18.2.14 को प्रारंभिक शेष रु 20000 (रु 1769350- 1749350) कम दिखाया गया था।

आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि रोकड़ बही में त्रुटि सुधार कर लिया जायेगा।

अतः जवाब के अनुरूप आवश्यक सुधार किया जाये।

टिप्पणी- 6 अभिलेखों का अप्रस्तुतीकरण

लेखा परीक्षा के दौरान निम्न अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया:-

1. स्टॉक रजिस्टर
2. सम्पत्ति रजिस्टर (Assets Register)
3. उपयोगिता प्रमाण पत्र
4. स्थायी एवं अस्थायी सामग्री की स्टॉक पंजी
5. शिकायत पंजी
6. योजनाओं के संबंध में लेजर (Ledger)
7. टी.एण्ड.पी. रजिस्टर

कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि अभिलेखों को अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

—हस्ता0—

(अशोक कुमार झा-1)

व0ले0प0अ0

—अनुमोदित—

उप महालेखाकार (सा0प्र0-I/स्था0नि0)